(266)

संचिका सं0–13 / नीति (चि0 प्रति0)–10–07–2015 36 (13)

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

रांची,दिनांकः– 17-02-2016

प्रेषक,

श्री मनोज कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,
झारखण्ड।

विषय : मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या–184 (13) स्वा0, रॉची, दिनांक–17.07.2015 के कार्यान्वरण में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु तथा योजना के अन्तर्गत नये अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–184 (13) स्वा0 रॉची दिनांक–17–07–2015 में गठित राज्य स्तरीय चिकित्सा सहायता प्रबंधन समिति की बैठक में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के कार्यान्वारण में आ रही कठिनाईयों के निराकरण तथा इस योजना के तहत् नये अस्पतालों को सूचीबद्ध करने का निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

1. मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अन्तर्गत विभागीय संकल्प संख्या–184 (13) स्वा0 रॉची दिनांक–17–07–2015 की कंडिका (7) की उपकंडिका (III) के क्रम में रोग के उपचार के दौरान जटिलता उत्पन्न होने के स्थिति में पूर्व से अनुमोदित राशि के अतिरिक्त राशि निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं से अनुमोदन प्राप्त कर की जा सकेगी, परन्तु किसी भी परिस्थिति में सम्पूर्ण राशि योजनान्तर्गत दी जानेवाली अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी।
2. कंडिका–7 (II) के क्रम में विभिन्न रोगों की चिकित्सा हेतु सहायता राशि संबंधित अस्पताल के शहर के लिये CGHS के द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप होगा। जिस शहर में सूचीवद्ध अस्पताल अवस्थित है तथा उन शहरों को सूचीवद्ध रोग हेतु CGHS दर उपलब्ध नहीं है वैसे स्थिति में AIIMS New Delhi / SPGI Lucknow / PGI Chandigarh जिनका दर न्युनतम हो, अनुमान्य होगा।
3. **समिति द्वारा निम्नलिखित चिकित्सा संस्थानों को सूचीबद्ध किया गयाः–**

1. गौरी देवी हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च इन्स्टीच्यूट, दुर्गापूर (प0 बंगाल) :- Cancer, Nephrology, Neurology, Heart disease, Plastic surgery, Orthopedic, General Surgery, Pediatric
2. सेवन पम हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर लालगुटूवा कटहल मोड़,रॉची। :- General Surgery, Orthopedic
3. आनन्द लोक हॉस्पीटल रानीगंज, वर्द्धवान (प0 बंगाल):-Nephrology, Heart Disease, General Surgery, Eye
4. के0 एम0 मेमोरियल हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड, चास, बोकारो। :- Nephrology, Neurology, Heart Disease, Plastic surgery, Orthopedic, General Surgery
5. सिंगपुर नसिंग होम, मुरी, रॉची। :- General Surgery, Orthopedic,

265

6. प्रभावती हॉस्पीटल, रॉची। :- Nephrology
7. गंगा मेमोरियल हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर।:- General Surgery Orthopedic, Nephrology,
8. राज हॉस्पीटल मेन रोड, रॉची। :- Cancer, Nephrology, Neurology, Heart disease, Plastic surgery,
9. टाटा मेन हॉस्पीटल (TMH),बिष्टुपूर, जमशेदपुर। :- Cancer, Nephrology, Neurology, Heart disease, Plastic surgery, Orthopedic, Eye, General Surgery, Pediatric
10. माँ ललिता सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल एण्ड ट्रामा सेन्टर,देवघर। :- Cancer, Nephrology, Neurology, Heart disease, Plastic surgery, Orthopedic, General Surgery, Pediatric

उपर्युक्त सूचीबद्ध 10 (दस) चिकित्सा संस्थान जो पूर्व में विभागीय संकल्प सं0–184 (13) स्वा0, दिनांक–17.07.2015 द्वारा 44 (चैवालीस) संस्थानों के अतिरिक्त है। अब कुल सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थानों की सख्या–54 (चौवन) हो गया है। कुल 54 (चौवन) सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थानों को CGHS दर पर ईलाज करने का निर्देश दिया जाता है एवं इस हेतु संबंधित सिविल सर्जन इन सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थानों को स्वीकृति राशि उपलबध कराना सूनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

(श्री मनोज कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक. सं0–13/नीति (चि0 प्रति0)–10–07–2015......36 (13) रॉची, दिनांक 17-02-2016

प्रतिलिपिः विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट/उप सचिव–सह नोडल पदाधिकारी विभागीय बेबसाईट, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, रॉची से अनुरोध है कि 200 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।
प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक) झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्री मनोज कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक. सं0–13/नीति (चि0 प्रति0)–10–07–2015....36 (13) रॉची, दिनांक 17-02-2016

प्रतिलिपिः महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आप्त सचिव/सभी अपर के मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः अभियान निदेशक, एन0 एच0 एम0/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/निदेशक, रिम्स/निदेशक, रिनपास/अधीक्षक पी0 एम0 सी0 एच0 धनबाद/पी0 जी0 एम0 सी0 एच0 जमशेदपुर/सभी सिविल सर्जन/सभी कोषागार पदाधिकारी/ सभी विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी संबंधित अस्पताल/ चिकित्सा संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्री मनोज कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

संoसंo : 13/आर–1–472/15 (गरीबी रेखा) 203 राँची, दिनांक : 30-10-15

प्रेषक,

अभिषेक श्रीवास्तव,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

वरीय सलाहकार,
मेदान्ता अब्दुर्रज्जाक अंसारी मेमोरियल वीवर्स हॉस्पिटल, राँची।

विषय :"मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना" के अन्तर्गत बीoपीoएलo एवं अन्य गरीब परिवारों के गंभीर बीमारी से पीड़ितों के ईलाज हेतु मेदान्ता अब्दुर्रज्जाक अंसारी मेमोरियल वीवर्स हॉस्पिटल, राँची को सूचिबद्ध करने के संबंध में।

महाशय,

विभगीय संकल्प संख्या–184(13) स्वाo दिनांक–17.07.2015 की कंडिका–(7) की उप कंडिका (i) के क्रमांक–6 में अंकित चिकित्सा संस्थान अब्दुर्रज्जाक अंसारी मेमोरियल वीवर्स हॉस्पिटल, ईरबा, राँची "मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना" के तहत् सूचीबद्ध है।

इस चिकित्सा संस्थान का मेदान्ता ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के साथ एकराररनामा किये जाने से उद्भूत परिवर्तित स्थिति में उपरोक्त संकल्प के क्रमांक–6 पर मेदान्ता अब्दुर्रज्जाक अंसारी मेमोरियल वीवर्स हॉस्पिटल, राँची को प्रतिस्थापित किया जाता है।

प्रस्ताव पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(अभिषेक श्रीवास्तव)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 13/आर–1–472/15 (गरीबी रेखा) 203 राँची, दिनांक : 30-10-2015

प्रतिलिपि : विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट/उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी विभागीय वेबसाईट, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणाल, राँची से अनुरोध है कि 200 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हकo) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(अभिषेक श्रीवास्तव)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 13/आर–1–472/15 (गरीबी रेखा) 203 30-10-2015 राँची, दिनांक : 30-10-2015

प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, एनoएचoएमo/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/निदेशक, रिम्स/निदेशक, रिनपास/अधीक्षक, पीoएमoसीoएचo, धनबाद/एमoजीoएमoसीoएचo, जमशेदपुर/ईटकी आरोग्यशाला, ईटकी, राँची/सभी सिविल सर्जन/सभी कोषागार पदाधिकारी/स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी संबंधित अस्पताल/चिकित्सा संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभिषेक श्रीवास्तव)
सरकार के उप सचिव।